उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-151/2018/2098/26-3-2018-27(विविध)/2018
लखनऊ दिनांक: 29 जून 2018

आदेश/शुद्धि पत्र

रिट याचिका संख्या-4478/एम.एस./2017 श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, अमरोहा, बनाम भारत सरकार व अन्य के अन्तर्गत पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-29.05.2018 के अनुपालन में श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, अमरोहा के छात्रों की वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति शासनादेश संख्या-140/2018/1725/26-3-2018- 27(विविध)/2018, दिनांक-29.05.2018 द्वारा प्रदान की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में अनुदान संख्या-83 के स्थान पर अनुदान संख्या-80 पढ़ा जाय। शासनादेश के शेष अंश/षर्ते यथावत रहेंगे।

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

पृ0सं0-151/2018/2098(1)/26-3-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-निदेषक,समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
3-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर, भवन, उ0प्र0लखनऊ।
4-जिला समाज कल्याण अधिकारी, अमरोहा।
5-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।